

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में घुघती-कैलानी से मसमौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। 1.044 है० (6.500 किमी.)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

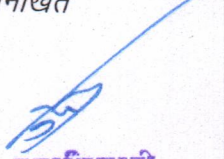
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिसूची अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


राज्य निरीक्षक,
क्षेत्र.....
तहसील.....


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी


तहसीलदार स्याल्द
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)


जिला अधिकारी,
जिला-अल्मोड़ा


जिला अधिकारी
मिकियासेन
जिला-अल्मोड़ा


वन क्षेत्र अधिकारी,
जोरासी रेंज
अल्मोड़ा वन प्रभाग


जिला अधिकारी
अल्मोड़ा